न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 04.01.2023

अपील संख्या 2023/6

उनवान

1— हनीफा उर्फ हफीफा, आयु 66 वर्ष पुत्री अहमदा पत्नी फकीर मोहम्मद, निवासी फकीर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

2— इकरामुद्दीन उर्फ पप्पू, आयु 59 वर्ष पुत्र गफूर, जाति मुसलमान, निवासी पुरानी सब्जीमण्डी के पास शिवपुरा, कोटा

3— निजामुद्दीन आयु 59 वर्ष पुत्र गफूर, जाति मुसलमान, निवासी रामद्वारा गली, जिला झालावाड राजस्थान

4— इस्लाम आयु 60 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान, निवासी बडे स्कूल के पीछे, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

5— अमीन आयु 50 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान,

6— मकसूद, आयु 43 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान,

7— मन्सूर, आयु 44 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान,

8— नवीन बेगम उर्फ गुड्डी, आयु 37 वर्ष पत्नी गफ्फार, जाति मुसलमान, निवासीगण फकीर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

9— नजमा, आयु 62 वर्ष पत्नी बाबू, जाति मुसलमान, निवासी भुलाहेडा, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1— छन्नू, आयु 90 वर्ष पुत्र अहमदा, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गन्दोलिया हाल होली का खूंट, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

2— शमा, आयु 46 वर्ष पुत्री बाबू, पत्नी शमशुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी साजीदेहडा, बकरा मण्डी के पास, कोटा

3— जन्नत, आयु 50 वर्ष पुत्री बाबू पत्नी रशीद, जाति मुसलमान, निवासी मुमताज ट्रेडर्स का मकान, जुल्मी रोड, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

4— शोईल, आयु 20 वर्ष पुत्र मुश्ताक, जाति मुसलमान,

5— साहित, आयु 19 वर्ष पुत्र मुश्ताक, जाति मुसलमान,

6— नगीना आयु 51 वर्ष पत्नी मुश्ताक, जाति मुसलमान, निवासीगण साजीदेहडा, बकरा मण्डी के पास, कोटा

7— वसीम, आयु 34 वर्ष पुत्र चांद खॉ, जाति मुसलमान, निवासी कूंजडा गली, झालावाड राजस्थान

8— शहनाज, आयु 36 वर्ष पुत्री चांद खॉ, पत्नी बब्लू, जाति मुसलमान, निवासी फकीर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

9— शाहिन आयु 35 वर्ष पुत्री चांद खॉ पत्नी रफीक, जाति मुसलमान, निवासी पुराने बस स्टेण्ड, टगर, भवानीमण्डी, जिला झालावाड राजस्थान

10— पिंकी आयु 32 वर्ष पुत्री चांद खॉ पत्नी कल्लू, जाति मुसलमान, निवासी पुराने बस स्टेण्ड, टगर, भवानीमण्डी, जिला झालावाड राजस्थान

11— नगीना आयु 30 वर्ष पुत्री चांद खॉ पत्नी आसिफ, जाति मुसलमान, निवासी खजराना मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश

12— पवन कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र रामबाबू, जाति धाकड, निवासी ग्राम गन्दोलिया, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

13— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 12 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

2/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 22.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 94/2021 निर्णय दिनांक 01.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अटरू, तहसील अटरू, जिला बारां में मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 खाता सं. 248 की खसरा नं. 256 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादी कम 1 हनीफा वादी कम 2, 3 की माता हमीदा, वादी कम 4 ता 9 की माता जावेदा व प्रतिवादी कम 1 एवं प्रतिवादी कम 2 ता 3 के पिता व प्रतिवादी कम 4 ता 11 के दादा बाबू खॉ के शामालती खाते हिस्सा बराबर खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) व धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय संचिका में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजात का भलीभांति विवेचन न कर व अपीलेट कोर्ट के द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना न कर मनमाने तरीके से दावा का निर्णय पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी कम 12 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं कर ऑर्डर 14 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत तनकियात कायम करनी चाहिए थी, उसके बाद दोनों पक्षों को साक्ष्य का अवसर देने के बाद विधिवत रूप से मुकदमें का निस्तारण करना चाहिए था, ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.12.2022 में इस सत्य को माना है कि बेचाननामा दिनांक 31.05.1990 को हुए फर्जीवाडे के संबंध में 2017 में थाना अटरू में दर्ज प्रकरण सं. 288/17 ए.सी.जे.एम. अटरू में विचाराधीन है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार कर वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है, जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है, जो कि अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है, इस कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.12.2022 आर्बीट्रेरी केप्रिसियस तथा परवर्स है तथा कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के कानूनी प्रावधान आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना ही बिना तनकीयात कायम किये ही कानून के खिलाफ जाकर निर्णय पारित किया है, उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पारित किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

22/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
... अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.12.2022 में प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वाद खारिज किया जो त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा बेचाननामा दिनांक 31.05.1990 एवं उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण सं. 23 दिनांक 03.04.1994 तथा बेचाननामा दिनांक 22.05.1997 एवं मिसल नं. 131 दिनांक 01.06.1997 को वादीगण के हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित कराकर स्वयं के नाम जमाबंदी में दर्ज करने का अभिवचन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में बेचाननामा दिनांक 31.05.1990 के संबंध में जालसाजी का मुकदमा सिविल न्यायालय में जैरकार है। सन् 1990 के पश्चात प्रतिवादी क्रम 12 द्वारा विवादित आराजी सन 1997 में जर्ये रजिस्टर्ड सेल डीड क्रय की।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी वर्तमान खातेदार के नाम जर्ये रजिस्टर्ड सेल डीड से दर्ज हुई। अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड सेल डीड को निरस्त कराने हेतु किसी न्यायालय में चाराजोही का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

यह सर्वविदित है कि रजिस्टर्ड सेल डीड को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। यदि अपीलांट को उक्त सेल डीड से आपत्ति है तो उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय से इन्हें खारिज कराना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के आधार पर वाद खारिज कर हमारी राय में उचित निर्णय किया है। आर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अनुसार यदि कोई वाद Barred by law है तो वह इस धारा के तहत खारिज किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रम 12 रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर खातेदार दर्ज है। उक्त रजिस्टर्ड सेल डीड को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार रेवेन्यु न्यायालय को नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रकट होता है। रजिस्टर्ड सेल डीड के संबंध में जालसाजी का प्रकरण सिविल न्यायालय में जैरकार होने से उसके आधार पर निर्णिय किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता।

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत व उचित होने से यथावत रखा जाना तथा अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– हनीफा उर्फ हफीफा, आयु 66 वर्ष पुत्री अहमदा पत्नी फकीर मोहम्मद, निवासी फकीर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

2– इकरामुद्दीन उर्फ पप्पू, आयु 59 वर्ष पुत्र गफूर, जाति मुसलमान, निवासी पुरानी सब्जीमण्डी के पास शिवपुरा, कोटा

3– निजामुद्दीन आयु 59 वर्ष पुत्र गफूर, जाति मुसलमान, निवासी रामद्वारा गली, जिला झालावाड राजस्थान

4– इस्लाम आयु 60 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान, निवासी बडे स्कूल के पीछे, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

5– अमीन आयु 50 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान,

6– मकसूद, आयु 43 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान,

7– मन्सूर, आयु 44 वर्ष पुत्र अजीज, जाति मुसलमान,

8– नवीन बेगम उर्फ गुड्डी, आयु 37 वर्ष पत्नी गफ्फार, जाति मुसलमान, निवासीगण फकीर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

9– नजमा, आयु 62 वर्ष पत्नी बाबू, जाति मुसलमान, निवासी भुलाहेडा, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

अपीलांट्स

बनाम

1– छन्नू, आयु 90 वर्ष पुत्र अहमदा, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गन्दोलिया हाल होली का खूंट, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

2– शमा, आयु 46 वर्ष पुत्री बाबू, पत्नी शमशुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी साजीदेहडा, बकरा मण्डी के पास, कोटा

3– जन्नत, आयु 50 वर्ष पुत्री बाबू पत्नी रशीद, जाति मुसलमान, निवासी मुमताज ट्रेडर्स का मकान, जुल्मी रोड, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

4– शोईल, आयु 20 वर्ष पुत्र मुश्ताक, जाति मुसलमान,

5– साहित, आयु 19 वर्ष पुत्र मुश्ताक, जाति मुसलमान,

6– नगीना आयु 51 वर्ष पत्नी मुश्ताक, जाति मुसलमान, निवासीगण साजीदेहडा, बकरा मण्डी के पास, कोटा

7– वसीम, आयु 34 वर्ष पुत्र चांद खॉ, जाति मुसलमान, निवासी कूंजडा गली, झालावाड राजस्थान

8– शहनाज, आयु 36 वर्ष पुत्री चांद खॉ, पत्नी बब्लू, जाति मुसलमान, निवासी फकीर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

9– शाहिन आयु 35 वर्ष पुत्री चांद खॉ पत्नी रफीक, जाति मुसलमान, निवासी पुराने बस स्टेण्ड, टगर, भवानीमण्डी, जिला झालावाड राजस्थान

10– पिंकी आयु 32 वर्ष पुत्री चांद खॉ पत्नी कल्लू, जाति मुसलमान, निवासी पुराने बस स्टेण्ड, टगर, भवानीमण्डी, जिला झालावाड राजस्थान

11– नगीना आयु 30 वर्ष पुत्री चांद खॉ पत्नी आसिफ, जाति मुसलमान, निवासी खजराना मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश

12– पवन कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र रामबाबू, जाति धाकड, निवासी ग्राम गन्दोलिया, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

रेस्पोडेंट्स

अपील नं 2023 / 6 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी ,अटरू

मु.द.नं0 94 / 2021 निर्णय व डिक्री दिनांक – 01.12.2022

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **02** माह **07** सन् **2024**

श्री **विद्याशंकर गोस्वामी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **घनश्याम नागर** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 12 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(हस्ताक्षर) 22/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन